2019/00874

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 6/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00874

दायर दिनांक :– 09.01.2019 निर्णय दिनांक :– 22.07.2025

1. सुमेरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. उच्छबकंवर पत्नी रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. पूनमसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. प्रति.सं.1 व
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 551 रकबा 55–02 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की और से श्री ओमप्रकश गोदारा ने वकालतनामा व जवाबदावा मय काण्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पात्रवली किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 551 रकबा 55–02 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध मे कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 551 रकबा 8.9193 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	पुनमसिंह पि. हुकमसिंह 2/3, सुमेरसिंह पि. माधोसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बोम्बेपुरा	551	6.6895 हैक्टेयर	बी–4
2	उछबकंवर पत्नी रणवीरसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बोम्बेपुरा	551	2.2298 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमे इन्सदाई

(आदेश 21 नियम 6, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी मुकनाराम पिन्डेल (आर.ए.एस.)

1 पुनमसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1 उछबकंवर पत्नी रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2 पुनमसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 6 / 2019

यह मुकदमा आज वादी इन डिगरी बनाई सकम को मुकनाराम पिन्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुद्दई व ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम डोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 551 रकबा 8.9193 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बटवाडा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	पुनमसिंह पि. हुकमसिंह 2/3, सुमेरसिंह पि. माधोसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	डोम्बेपुरा	551	6.6895 हैक्टेयर	बी–4
2	उछबकंवर पत्नी रणवीरसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	डोम्बेपुरा	551	2.2298 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.07.2025 को जारी की गई।

(मुकनाराम पिन्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।